रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264428
CG-DL-E-07072025-264428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2025/आषाढ़ 13, 1947
No. 405] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2025/ASHADHA 13, 1947

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 448(अ).— चूंकि राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 के अंतर्गत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

और चूंकि उक्त नियमावली के नियम 3 में पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों का प्रावधान किया गया है;

और चूंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 30 मई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/4/2016-स्था. (वेतन-II) के तहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नियामक प्राधिकरणों या निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन में संशोधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

और चूंकि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

"मौजूदा निर्देशों में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और सदस्य जो विनियामक प्राधिकरण/सांविधिक निकाय/अधिकरण में अपनी नियुक्ति की तारीख पर केंद्र/राज्य सरकार में सेवारत थे, उन्हें ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उनकी संबंधित नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा। यदि ऐसे अधिकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसकी कटौती पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों पर लागू मौजूदा आदेशों के अनुसार की जाएगी।"

और चूंकि संस्कृति मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त अनुदेशों को अपनाना आवश्यक मानते हुए क्रमशः 28 दिसंबर, 2022 और 9 जून, 2023 को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के वेतन और भत्ते तय करते समय पहले ही उपर्युक्त अनुदेशों को लागू कर दिया है;

और चूंकि, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के नियम 3 में तदनुसार परिणामी संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (सीएफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।

2. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के नियम 3 में खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की सकल राशि घटा दी जाएगी।"

[फा. सं. एनएमए-27/1/2025-42]
गुरमीत सिंह चावला,संयुक्त सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1034(अ), दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey Of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2025.

G.S.R. 448(E).— Whereas the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011 were notified under section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) vide notification of the Government of India in the Ministry of Culture number G.S.R.635 (E), dated the 23rd August, 2011;

And whereas rule 3 of the said rules provides for the salaries, allowances and other conditions of service of the whole-time Chairperson and whole-time members and part time members;

And whereas the Department of Personnel and Training vide its Office Memorandum No.3/4/2016-Estt. (Pay-II) dated the 30th May, 2017 has issued guidelines for revision of pay of the Chairpersons and

Members of the Regulatory Authorities or Bodies consequent to the implementation of the Seventh Central Pay Commission recommendations;

And whereas paragraph 6 of said Office Memorandum provides as under:

"Existing instructions provide that Chairperson and Member(s) who on the date of his/her appointment to the Regulatory Authority/ Statutory Body/ Tribunal was in the service of the Central/ State Government shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his/her respective appointment as such Chairperson/Member. In case such officers are in receipt of pension, the same shall be deducted in accordance with the prevailing orders applicable to the reemployed pensioners.";

And whereas the Ministry of Culture having considered it necessary to adopt the above instructions of the Department of Personnel and Training, has already invoked the aforementioned instructions while fixing the salary and allowances of the Chairperson and whole-time member of the National Monuments Authority on the 28th December, 2022 and 9th June, 2023, respectively;

And whereas it is accordingly required to make consequential amendment in rule 3 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (cf) of sub-section (2) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, namely: -

1. These rules may be called the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Amendment Rules, 2025.

2. In the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, in rule 3, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

"(d) In case a person appointed as the Chairperson, or whole-time member, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.".

[F.No. NMA-27/1/2025-42]
GURMEET SINGH CHAWLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 635(E), dated the 23rd August, 2011 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 1034(E), dated the 11th October, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.07 11:08:14 +05'30'